Toppersnotes
Unleash the topper in you

UGC-NET

पेपर – 2

NATIONAL TESTING AGENCY (NTA)

पेपर – 2 || भाग – 4

भारत में राजनीतिक संस्थाँए एवं राजनीतिक प्रक्रियाएँ

SIERRA INNOVATIONS

Unit -7

भारत में राजनीतिक संस्थाएँ

1.	भारतीय संविधान का निर्माण	1
2.	संविधान निर्माण में राष्ट्रीय आन्दोलन का योगदान	7
3.	भारत में संविधान वाद	12
4.	संविधान में संशोधन	23
5.	निर्वाचन प्रक्रिया	25
6.	स्थानीय शासन संस्थाएँ	29
7.	संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएँ	33
8.	संविधान के भाग	40
9.	अनुसूचियाँ	44
10.	प्रस्तावना	50
11.	संघ एवं राज्यक्षेत्र	57
12.	मौलिक अधिकार	63
13.	नीति निदेशक तत्व	83
14.	मौलिक कर्तव्य	91
15.	संघ सरकार (राष्ट्रपति) (उपराष्ट्रपति) (प्रधानमंत्री) (महान्यायवादी)	92
16.	संसद	120
17.	संसदीय समितियाँ	136
18.	न्यायपालिका	144
19.	नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक	155
20.	राज्य सरकार (राल्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता)	156

21.	विधान मण्डल	165
22.	उच्च न्यायालय	170
23.	संघाात्मक शासन	174
24.	केन्द्र राज्य विधायी संबंध	179
25.	अन्य संस्थाएँ	182
26.	केन्द्र राज्य वितीय संबंध	189
27.	भारत में राष्ट्रनिर्माण की चुनौतियाँ	193
28.	सिविल सेवा	203

Unit – 8

भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएँ

1.	राज्य अर्थव्यवस्था तथा विकास	208
2.	विकास योजना	212
3.	नव आर्थिक नीति	215
4.	मानव विकास	217
5.	वैश्वीकरण	219
6.	पहचान की राजनीति	221
7.	सामाजिक समाज के समुह	224
8.	नागरिक समाज के समुह	227
9.	भारतीय राजनीति का क्षेत्रीकरण	231
10.	भारत में लिंग एवं राजनीति	237
11.	चुनावी राजनीति	239

Toppersnotes
Unleash the topper in you

भारत में राजनीतिक संस्थाएं

→ भारतीय संविधान का निर्माण -

औपनिवेशिक विरासत - 26 जनवरी, 1950 को भारत के नए गणराज्य का शुभारम्भ हुआ और भारत अपने लम्बे इतिहास में पहली बार एक आधुनिक ढाँचे के साथ पूर्ण संसदीय लोकतन्त्र बना।

लोकतन्त्र एवं प्रतिनिधि संस्थाएँ संस्थाएँ भारत के लिए पूर्णतया नई नहीं है।

प्राचीनकाल में कबीले की आम सभा को 'समिति' कहते थे और सभा अपेक्षतया छोटे और चयनित वरिष्ठ लोगों की निकाय थी, जो आधुनिक विधानमण्डलों में उच्च सदन के समान थी।

यहां से आधुनिक संसद का प्रारम्भ माना जा सकता है। आधुनिक अर्थों में, संसदीय शासन प्रणाली एवं विधायी संस्थाओं का प्रारम्भ एवं विकास लगभग दो शताब्दियों तक ब्रिटेन के साथ भारत के संबन्धों से जुड़ा हुआ है।

परन्तु यह मान लेना सही नहीं होगा कि बिल्कुल ब्रिटेन जैसी संस्थाएँ किसी समय भारत में स्थापित हो गई।

आज जिस रूप में भारत की संसद और संसदीय संस्थाओं को हम जानते हैं, उनका विकास भारत में ही हुआ।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

→ इनका विकास विदेशी शासन से मुक्ति के लिए और स्वतन्त्र लोकतन्त्रात्मक संस्थाओं की स्थापना के लिए किए गए अनेक संघर्षों और ब्रिटिश शासकों द्वारा रुक-रुक कर, धीरे-धीरे और कई टुकड़ों में किए गए संवैधानिक सुधारों के द्वारा हुआ, जो कि निम्न प्रकार हैं :—

1773 का रैग्यूलेटिंग एक्ट

(1) कम्पनी डायरेक्टरों को ब्रिटिश संसद ने कम्पनी के राजस्व, दीवानी एवं सैन्य प्रशासन से संबंधित मामलों से अवगत कराने का निर्देश दिया।

(2) इस अधिनियम द्वारा 1774 ई. में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस न्यायालय में प्राथमिक तथा अपील के अधिकार की अनुमति थी।

(3) बंगाल में एक प्रशासक मण्डल गठित किया गया, जिसमें गवर्नर-जनरल तथा चार पार्षद नियुक्त किए गए। ये पार्षद सैन्य तथा नागरिक प्रशासन से संबंध थे, निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे।

(4) कानून बनाने का अधिकार गवर्नर-जनरल समेत उसकी परिषद् को दे दिया गया, परन्तु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व भारत सचिव से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था।

(5) बंगाल के गवर्नर को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा गया।

1793 का चार्टर एक्ट

(1) कम्पनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया।

(2) कम्पनी के नियन्त्रण अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा।

(3) गवर्नर जनरल का मद्रास तथा बम्बई प्रेसीडेंसियों पर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया।

1813 का चार्टर एक्ट

→ ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की माँग, कम्पनी के एकाधिकार को समाप्त करने, लॉर्ड वेलेजली की भारत में आक्रामक नीति तथा कम्पनी की दयनीय आर्थिक स्थिति के आलोक में 1813 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके मुख्य प्रावधान निम्न थे।

1. कम्पनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियन्त्रण का अधिकार दे दिया गया किन्तु स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों के क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

२. कम्पनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसका चीन से व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा।

3. ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा प्राप्त हो गई।

1833 का चार्टर एक्ट

(१.) भारत में दास प्रथा को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया तथा गवर्नर-जनरल को निर्देश दिया कि वह भारत से दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

(२.) चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कम्पनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया।

(3.) गवर्नर-जनरल की परिषद् में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई।

(४.) इस अधिनियम में स्पष्ट कर दिया गया कि कम्पनी के प्रदेशों में निवास करने वाले किसी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर कम्पनी के किसी के किसी पद से, जिसके वह योग्य हो, वंचित नहीं किया जाएगा।

1853 का चार्टर अधिनियम –

(1) बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई।

(2) कम्पनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई।

(3) निदेशक मण्डल में सदस्यों की संख्या 24 से कम कर 18 कर दी गई तथा इनमें से 6 सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार ब्रिटिश राजा को दिया गया।

(4) कार्यकारिणी परिषद् के 'कानून सदस्य' को परिषद् का पूर्ण सदस्य बना दिया गया।

1858 का भारतीय शासन अधिनियम

(1) भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया।

(2) अब भारत का शासन, ब्रिटिश साम्राज्ञी की ओर से भारत राज्य सचिव को चलाना था, जिसकी सहायता के लिए -15 सदस्यीय भारत परिषद् का गठन किया गया।

(3) अनुबद्ध सिविल सेवा में नियुक्तियाँ खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

केन्द्रीय सरकार

कार्यपालिका

मुख्य कार्यपालिका का अधिकारी गवर्नर-जनरल था। 1919 के अधिनियम में सभी विषयों को केन्द्रीय एवं प्रान्तीय दो भागों में बाँटा गया।

गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी के आठ सदस्यों में तीन भारतीय नियुक्त किए, जिन्हें विधि, शिक्षा, उद्योग, श्रम, स्वास्थ्य जैसे विभाग सौंपे गए।

प्रान्त के आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप का गवर्नर-जनरल को पूर्ण अधिकार प्राप्त था।

गवर्नर-जनरल को माँगों पर कटौती का अधिकार था। साथ ही वह केन्द्रीय व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों को पारित कर अध्यादेश जारी कर सकता था।

व्यवस्थापिका

1. सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक माँगों व स्थगित प्रस्तावों को ला सकते थे, बजट को अस्वीकार कर सकते थे।

2. राज्यपरिषद् का कार्यकाल 5 वर्ष था तथा केवल पुरुष ही इसके सदस्य बन सकते थे, जबकि केन्द्रीय विधान सभा का कार्यकाल 3 वर्ष था, जिसे गवर्नर जनरल की सहमति पर बढ़ाया भी जा सकता था।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

→ भारत के संविधान निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का योगदान -

→ भारत के संविधान निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन अतुलनीय रहा है।

→ इस आन्दोलन की शुरुआत 1857 ई. में हुए सिपाही विद्रोह से ही मानी जाती है।

→ बंगाल विभाजन के बाद भारत के लोग अपना खुद का एक संविधान निर्माण की बात सोचने लगे थे।

→ वर्ष 1909 के भारतीय परिषद् अधिनियम में भारतीयों को सीमित मात्रा में अधिकार दिए गए थे।

→ स्वराज पार्टी की स्थापना भी इसी उद्देश्य के साथ हुई थी कि केन्द्रीय परिषद् में भारतीयों को उचित स्थान प्राप्त हो।

→ भारत के संविधान निर्माण की पहली पहल नेहरू समिति की रिपोर्ट के माध्यम से की गई थी, जिसमें भारतीयों के लिए पहली बार मूल अधिकार की बात की गई।

नेहरु समिति की रिपोर्ट (1928)

साइमन कमीशन द्वारा भारतीय नेताओं को एक सर्वमान्य संविधान बनाने की चुनौती पेश किए जाने के उपरान्त मोतीलाल नेहरु की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे नेहरु समिति अथवा नेहरु कमेटी के नाम से जाना जाता है।

इस समिति के अन्य सदस्य सुभाषचन्द्र बोस तथा तेजबहादुर सप्रू थे।

10 अगस्त, 1928 को प्रस्तुत की गई समिति की रिपोर्ट नेहरु रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है।

यह भारतवासियों द्वारा अपने देश के लिए संविधान बनाए जाने का प्रथम प्रयास था।

साइमन कमीशन

- भारत में व्याप्त परिस्थितियों को जाँचने एवं उन पर अपना प्रतिवेदन देने हेतु सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे नेहरु समिति अथवा नेहरु कमेटी के नाम से जाना जाता है।

इस आयोग में एक भी भारतीय को सदस्य न नियुक्त करने पर भारतीयों ने स्वयं को अपमानित समझते हुए इस आयोग का विरोध किया।

साइमन आयोग ने वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें प्रान्तों में प्रतिनिधि सरकार की सिफारिश तो की गई, लेकिन केन्द्र में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना को स्थगित रखा गया।

भारत सरकार अधिनियम (1935)

भारत में 1861 ई. में आरम्भ हुई संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का अन्तिम चरण 1935 का भारत सरकार अधिनियम था।

यह कहा भी गया है कि 1935 के सुधार ब्रिटेन द्वारा भारत में अपना शासन कायम रखने और सन्तुलन बनाए रखने के प्रयत्न में किया गया सर्वाधिक धूर्ततापूर्ण और आखिरी प्रयत्न था। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे :—

इस अधिनियम में प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों, मुख्य आयुक्त के प्रान्तों तथा सभी भारतीय प्रान्तों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था।

इसमें दो शर्तें थीं - प्रथम, रियासत के प्रतिनिधियों में न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें संघ में सम्मिलित न हों।

द्वितीय - शर्त थी कि रियासतों की कुल जनसंख्या में से आधी जनसंख्या वाली रियासतें संघ में सम्मिलित न हो, जिन शर्तों पर इन सभी रियासतों को संघ में सम्मिलित होना था, उनका उल्लेख एक पत्र में किया जाना था।

- केन्द्र में समस्त संविधान का केन्द्रबिन्दु गवर्नर - जनरल था। प्रशासन के विषयों को दो भागों में विभक्त किया गया - सुरक्षित एवं हस्तान्तरित।

- संघीय सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष होना था। इसके सदस्यों में से 250 प्रान्तों के और अधिकाधिक 125 सदस्य रियासतों के होते थे।

- सभी विषय तीन सूची में बाँटे गए।

- प्रान्तों को स्वायत्तता एवं प्रदत्त विधिक पश्चात बनाने का अधिकार प्रदान करना।

- गवर्नर प्रान्त में ताज का मनोनीत प्रतिनिधि होता था, जो महामहिम ताज की ओर से समस्त कार्यों का संचालन एवं नियन्त्रण करता था।

- सभी सदस्यों का निर्वाचन सीधे तौर पर होता था। मताधिकार में वृद्धि की गई। पुरुषों के समान महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया।

- केन्द्र में द्वैध - शासन की स्थापना की गई।

माउण्टबेटन योजना (1947)

→ देश में साम्प्रदायिक हिंसा और गृहयुद्ध की स्थिति की तीव्रता को देखते हुए 3 जून, 1947 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउण्टबेटन ने भारत और पाकिस्तान के मध्य बंटवारे के प्रश्न पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ एक योजना तैयार की, जिसे माउण्टबेटन योजना के नाम से जाना जाता है।

इस योजना के अनुसार, दोनों मुख्य सम्प्रदायों का समायोजन करने एवं हस्तान्तरण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए देश को दो भागों भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का परामर्श दिया गया।

→ योजना के मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे – बंगाल और पंजाब की प्रान्तीय विधानसभा को यह कहा जाए कि वे दो भागों में अधिविष्ट हो।

एक भाग में मुस्लिम बहुमत वाले जिलों के प्रतिनिधि होंगे और दूसरे भाग में शेष प्रान्त के।

दोनों भागों के सदस्य पृथक रूप से इस बात के लिए मतदान देंगे कि क्या उस प्रान्त का विभाजन किया जाए।

→ भारत में संविधानवाद

→ संविधानवाद सरकार के उस स्वरूप को कहते, जिसमें संविधान की प्रमुख भूमिका होती है।

→ अधिकारियों को मनमाने निर्णय की छूट होने के स्थान पर 'कानून के राज्य' का पक्ष लेना ही संविधानवाद है।

लोकतन्त्र

→ लोकतन्त्र - "जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है।"

→ जिसका मतलब बिल्कुल साफ है लोकतंत्र लोगो के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जनता के हित में कार्य करने की एक शासन प्रणाली है।

→ समय और परिस्थिति के अनुसार लोकतन्त्र की अवधारणा भी बदलती गई, बुद्धी जीवियों ने लोकतन्त्र की विभिन्न अवधारना रखी।

→ जिसमें से बहुत सारी आज तक क्रियान्वित नहीं हुई।

→ वर्ष, 1909, 1919, 1935 के लोकतान्त्रिक प्रावधानों ने भारत सरकार अधिनियमों में अपना स्थान बना लिया।

→ वर्ष 1950 के दौरान संविधान सभा के भीतर विचार-विमर्श होने के बाद ही स्वातन्त्र्योत्तर भारत में लोकतन्त्र लागू कर दिया गया।

→ भारत का संसदीय स्वरूप गाँधीवादी सिद्धान्तों के आलोक में ग्रामस्तरीय सरकार की तुलना में सार्वभौम वयस्क मताधिकार व आवधिक चुनाव के सिद्धान्त पर आधारित है।

* प्रक्रियात्मक लोकतन्त्र

- प्रक्रियात्मक लोकतन्त्र को मानने वाले भारत में लोकतन्त्र को सफल मानते हैं।

- यह लोकतन्त्र, भागीदारी तथा प्रतिस्पर्धा पर टिका हुआ है।

- ये भारत में चुनाव की प्रायिकता और चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा द्वारा दर्शाए जाते हैं।

- यह लोकतन्त्र मतदान प्रतिशत और पार्टियों द्वारा पड़े हुए वोटों की गणना भागीदारी को दर्शाता है।

- वे मतदान प्रतिशत और मत प्रतिशत को प्रबल प्रवृत्तियों को उपलक्षित करते हैं।

• वे मतदान प्रतिशत और निर्वाचित क्षेत्र विशेष से सामाजिक - आर्थिक आँकड़ो के साथ भागीदारी के बहु परिवर्तनीय संबंध पर विचार करते हैं।

• इस आधार पर कि यह विश्लेषण सर्वेक्षण पर आधारित होता है और किसी क्षेत्र-विशेष के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कारकों को ध्यान में रखता है।

• तथापि कुछ विद्वान सर्वेक्षण विश्लेषण को त्रुटियों से भरपूर मानते हैं, क्योंकि यह गुणवत्तात्मक आँकड़ो द्वारा समर्थित नहीं होता।

• तथा चुनावों के बीच की अवधि के लिए आँकड़े भी प्रदान नहीं करते।

• प्रक्रियात्मक लोकतन्त्र ने भारत में राष्ट्र-निर्माण में योगदान दिया।

• पूर्व दशकों मे, विशेषज्ञों का ध्यान इस बात की जाँच करने पर लगा था कि इसमें सार्वभौम व्यस्क मताधिकार और आवधिक चुनाव की पुनर्स्थापना के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार सहायता की है।

* सत्तावाचक लोकतन्त्र

- भारत में सत्तावाचक लोकतन्त्र को लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

- सत्तावाचक लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्षता, कल्याणवाद तथा विकास के सिद्धान्त पर आधारित है।

- सभ्य समाज भी सत्तावाचक लोकतन्त्र एक एक अनिवार्य संघटन रहा है।

- यह सभी संघों एवं सामूहिक कार्यों को सभ्य समाज के रूप में लेता है।

- सत्तावाचक लोकतन्त्र विषयक ध्यान केन्द्रण को आवश्यक मानता है।

- इसको राष्ट्र-राज्य के सामने एक चुनौती के साथ-साथ देश की लोकतान्त्रिक विषय-वस्तु में वृद्धि के रूप में भी लिया जाता है।

- 73 वें तथा 74 वें संविधान संशोधन के द्वारा विकेन्द्रीकरण को लोकतन्त्रीकृत कर दिया गया इससे लोकतन्त्र का कार्यक्षेत्र विस्तृत होगया, ताकि उसमें महिलाएँ अन्य पिछड़े वर्ग व सामाजिक के सभी वर्ग आ सकें।